गोविन्दराम बनाम गणपतलाल वगैरह
मुकदमा नम्बर 0145/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थी:—

गोविन्दराम पुत्र गुल्लाराम जाति जांगीड़ निवासी ग्राम भांवता तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगण:—

1. गणपतलाल पुत्र भैरूबस जाति रेगर
2. गणेशराम पुत्र भैरूबस. जाति रेगर
3. मालाराम पुत्र लालाराम जाति रेगर
4. रामेश्वर पुत्र लालाराम जाति रेगर
   सभी निवासीयान ग्राम भांवता तहसील कुचामन सिटी
5. बैंक ऑफ बडौदा शाखा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी।
7. राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट 1955
उपस्थित :— श्री विष्णुधर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

मुकदमा नम्बर:— 0145/2023 निर्णय दिनांक : 31.01.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम भांवता तहसील नावां के खसरा नम्बर 521 रकबा 3.48 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 521 भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1234/509 रकबा 0.4765 हैक्टर भूमि में से दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 521 में जाने के लिए खसरा नम्बर 521 की पश्चिमी सीमा तक 5 मीटर चौडाई का रास्ता चाहा है। चाहे गये रास्ते का अंकन प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की भूमि में आने जाने का निकटम तथा सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि का उपयोग व उपभोग करने में पूर्णतया वंचित हो रहा है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु सुगम पहुंच व कृषि पैदावार लाने ले जाने हेतु चाहा गया रास्ता दिलावो का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार नावां से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1ता 6 के जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस भिजवाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार नावां ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम भांवता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:04:20 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

के खसरा नम्बर 521 रकबा 3.48 हैक्टर गोविन्दराम पुत्र गुलाराम जाति जांगीड के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि का नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट में अंकित किया। खातेदार गोविन्दराम पुत्र गुलाराम की भूमि खसरा नम्बर 521 में आने जाने हेतु कटाणी रास्ता नहीं लगता है। इसलिए गोविन्दराम ने ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1234/509 की दक्षिणी सीव के सहारे सहारे 46 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौडाई का रास्ता चाहा गया है जिसे नजरी नक्शा में डोटेड लाईन से ए से बी दर्शाया गया है। चाहा गया रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है। चाहे गये रास्ते में किसी प्रकार का कोई स्ट्रैचर पेड कुआ आदि नहीं है। प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि मौजा ग्राम भांवता तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 3.48 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1234/509 रकबा 0.4765 हैक्टर भूमि में से दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 521 में जाने के लिए खसरा नम्बर 521 की पश्चिमी सीमा तक 5 मीटर चौडाई का रास्ता चाहा है। तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है तथा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1234/509 में से 46 वर्गमीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 230 वर्गमीटर अर्थात् 0.0230 हैक्टर है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है और प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मौजा ग्राम भांवता तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 3.48 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1234/509 में से दक्षिणी सीव के सहारे सहारे 46 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौडाई कुल 230 वर्गमीटर अर्थात् 0.0230 हैक्टर भूमि का राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार नावां को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त रास्ते के एवज में प्रार्थी से उक्त भूमि की नियमानुसार नवीनतम प्रचलित डीएलसी दर की दोगुनी राशि राजकोष में जमा लेकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता अमलदरामद व नक्शे में तरमीम करें तथा उक्त राशि को अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को उनके हक हिस्से अनुसार अदा करें। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। संबंधित खातेदारों का संबंधित बैंक में रहन यथावत रहेगा तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना—कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:04:20 IST
Reason: SelfAttested